

## कार्यकारी सारांश

मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा जनगणना एवं रा.रा.क्षे.दि.स. जैसे विभिन्न माध्यमों से संग्रहित अतिरिक्त जानकारी पर आधारित यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखों का विश्लेषणात्मक पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है।

**अध्याय 1** वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के मुख्य राजकोषीय संचय संबंधी विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है।

**अध्याय 2** विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोजन का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, को दर्शाता है।

**अध्याय 3** रा.रा.क्षे.दि.स. की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना का विहंगावलोकन तथा स्थिति है।

### अध्याय 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

दिल्ली ने गत पाँच वर्षों 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व अधिशेष को अनुरक्षित रखा। राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में 12.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर राजस्व और गैर-कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 14.70 प्रतिशत एवं 101.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायता अनुदानों में ₹ 2,825 करोड़ (2016-17) से घटकर ₹ 2,184 करोड़ (2017-18) हो गई। इसमें केन्द्रीय करों के हिस्सेदारी के बदले भारत सरकार से अनुदान शामिल थे जो 2001-02 से ₹ 325 करोड़ पर स्थिर रहा यद्यपि, केन्द्रीय कर संग्रह 2001-02 से पर्याप्ततः बढ़ गया है।

2017-18 के दौरान कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 10.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय, 2017-18 के दौरान कुल व्यय का 86 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋण व अग्रिम क्रमशः 8.26 प्रतिशत तथा 5.73 प्रतिशत थे। कुल व्यय में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी,

जो कि विकास व्यय को प्रदर्शित करती है, पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

31 मार्च 2018 तक सरकार ने ₹ 19,173 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में निवेश किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 0.08 प्रतिशत था जबकि 2017-18 के दौरान सरकार द्वारा अपनी उधारियों पर 8.58 प्रतिशत औसत दर से ब्याज का भुगतान किया गया।

*1998-2018 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को संवितरित किए गए ₹ 26,620.04 करोड़ की ऋण राशि के प्रति, 31 मार्च 2018 तक ₹ 26,268.89 करोड़ का बकाया छोड़कर ₹ 351.16 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। बकाया ऋणों पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एजेंसियों द्वारा समाधान के अधीन है।*

*1996-2011 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को ₹ 11,837.69 करोड़ की ऋण राशि संवितरित की गई थी। इसके प्रति 31 मार्च 2018 तक ₹ 11,676.14 करोड़ बकाया छोड़कर ₹ 161.55 करोड़ वापस किया गया है। इन ऋणों पर ₹ 20,818.07 करोड़ की ब्याज देयता 31 मार्च 2018 तक बकाया था।*

*31 मार्च 2018 तक ₹ 2,037.54 करोड़, ₹ 1,395.90 करोड़ और ₹ 381.45 करोड़ की ऋण राशि क्रमशः उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थे। बकाया ऋणों पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा समाधान के अधीन है।*

रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजकोषीय देयताएँ 2017-18 में ₹ 33,569 करोड़ थीं। राजकोषीय देयताएँ जीएसडीपी का 4.89 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों के 86.81 प्रतिशत तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों के 92.01 प्रतिशत थीं।

यद्यपि, रा.रा.क्षे. दिल्ली में विगत पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था, राजस्व अधिशेष 2017-18 में पिछले वर्ष की तुलना में 2.59 प्रतिशत कम हो गया तथा जीएसडीपी के 0.72 प्रतिशत रहा।

2016-17 में ₹ 1,051 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष में बदल गया तथा जीएसडीपी का 0.02 प्रतिशत रहा।

सरकार ने गत चार वर्षों 2014-15 से 2017-18 तक के लिए प्राथमिक अधिशेष अनुरक्षित रखा। प्राथमिक अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 62.88 प्रतिशत तक बढ़ गया तथा 2017-18 में जीएसडीपी का 0.43 प्रतिशत रहा।

## अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजट नियंत्रण

2017-18 के दौरान ₹ 49,202.08 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 41,159.42 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8,042.66 करोड़ (16.35 प्रतिशत) की बचत हुई।

11 उपशीर्षों में ₹ 34.94 करोड़ की राशि का पूरक प्रावधान अनावश्यक था। 37 उपशीर्षों में निधियों का पुनः विनियोजन, जहां अंतिम बचत एक करोड़ रुपये से अधिक थी, को अनुचित रूप से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 283.98 करोड़ का अनुपयोगी/अतिरिक्त प्रावधान हुआ।

25 उप-शीर्षों के संबंध में ₹ 1,249.81 करोड़ का पर्याप्त अभ्यर्पण किया गया जिनमें से तीन उप-शीर्षों में 100 प्रतिशत राशि ₹ 150 करोड़ अभ्यर्पित हुए।

## अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग

विभिन्न अनुदानित संस्थाओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब था जिसके परिणामस्वरूप उचित उपयोगिता का अनुदान सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹ 4,455.75 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र दो से 10 वर्ष के बीच के समय से बकाया थे जबकि ₹ 2,497.89 करोड़ 10 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे।

वर्ष 2016-17 तक पाँच निकायों/प्राधिकरणों के 18 वार्षिक लेखे मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए।

31 मार्च 2018 तक ₹ 402.43 करोड़ के सार आकस्मिक बिल के बकाया शेष को छोड़कर, ₹ 607.64 करोड़ के सा.आ. बिल की राशि के प्रति ₹ 205.21 करोड़ (33.77 प्रतिशत) की कुल राशि के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल की प्राप्ति हुई थी। 2017-18 के दौरान ₹ 176.06 करोड़ के सा.आ. बिल के प्रति ₹ 90.85 करोड़ (51.60 प्रतिशत) की राशि मार्च 2018 से संबंधित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत व्यय और प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशियों को '800 अन्य व्यय' एवं '800 अन्य प्राप्तियां' लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किए गए थे।

